

कार्यालय, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः— शिविरा / मा० / हि०नि० / 28203 / 2024–25

दिनांकः— यथा हस्ताक्षर

समस्त संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग,
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय)(माध्यमिक / प्रारंभिक)
समस्त डाईट प्राचार्य
समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,
राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, बीकानेर एवं अजमेर।
प्रधानाचार्य सार्टूल स्पोर्ट्स राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बीकानेर।
एवं समस्त विशिष्ट संस्थायें
पंजीयक शिक्षा विभागीय परिक्षायें, बीकानेर

विषयः— हितकारी निधि का वार्षिक अंशदान वर्ष 2024–25 की कटौती वेतन बिलों से करने बाबत।

उपरोक्त विषय में लेख है की राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प021(7) शिक्षा—२/हितकारी निधि/2017 दिनांक 13.10.2017 एवं पत्रांक 15.06.2018 के द्वारा अनुमोदन उपरान्त हितकारी निधि का वार्षिक अंशदान वर्ष 2018–19 से वेतन बिलों की आंतरिक राशि में से वेतन माह दिसम्बर देय जनवरी से प्रारंभ किया गया, उसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2024–25 में राजपत्रित एवं अराजपत्रित संवर्ग (प्रारंभिक / माध्यमिक शिक्षा) के कार्मिकों के वेतन माह दिसम्बर, 2024 देय जनवरी, 2025 की कटौती पूर्व निर्धारित प्रक्रिया एवं दर से की जानी है।

हितकारी निधि वार्षिक अंशदान वेतन माह दिसम्बर, 2024 देय जनवरी, 2025 के सम्बन्ध में एक निर्देशिका इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है, अतः इस सम्बन्ध में कोषाधिकारी / उप-कोषाधिकारी से सम्पर्क कर अंशदान कटौती सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही करते हुए उक्त समस्त दस्तावेज अपने अधीनस्थ कार्यालयों को प्रेषित कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करें।

राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित वार्षिक अंशदान की दरें :-

01 समस्त राजपत्रित अधिकारी (स्कूल व्याख्याता सहित)	रुपये 500/- प्रतिवर्ष
02 समस्त अराजपत्रित कार्मिक (अध्यापक एवं सहायक कर्मचारी सहित)	रुपये 250/- प्रतिवर्ष

हितकारी निधि कल्याणकारी योजनायें :-

इस कल्याणकारी योजनान्तर्गत 2018–19 से नियमित अंशदाता को ही लाभ प्राप्त हो सकेगा।

01 सेवा में रहते कार्मिक के निधन पर उसके आश्रितों द्वारा आवेदन करने पर आर्थिक सहायता।	1,50,000/-
02 शिक्षा विभाग के कार्मिकों के 500 बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनरत होने पर सहायता। (आवेदन आमंत्रित करने पर)	10,000/-
03 एक मुश्त छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शिक्षा कर्मियों के पुत्र/पुत्री के राजकीय विद्यालय में अध्ययन करते हुए 70 प्रतिशत् या अधिक अंक प्राप्त करने पर छात्रवृत्ति। (राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा आयोजित X th के 11,000/- 950 एवं 50 विशिष्ट उपाध्याय, संस्कृत के छात्र/छात्राओं को) (आवेदन आमंत्रित करने पर)	11,000/-
04 बालिका उपहार योजनान्तर्गत (सेवाकाल में एक बार) पुत्री के विवाह पर, 11,000/-	

प्रति वर्ष 1000 प्रकरणों में।	
05 मंत्रालयिक एवं च०श्रे०कर्म० का भारत भ्रमण सुविधा के तहत 12,000/- राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होने पर अधिकतम सहायता।	
06 बालिका शिक्षा हेतु ऋण।	50,000/-

हितकारी निधि की सफलता के लिये आपके अधीनस्थ कार्यालयों/विद्यालयों में इस पत्र की प्रतिलिपि मय आपके निर्देशों के साथ भिजवावें। अंशदान की कटौती होने के पश्चात् निर्देशानुसार ECS Cash Book एवं कटौती शिड्यूल की प्रति अध्यक्ष, हितकारी निधि, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के नाम से भिजवायी जानी है, कटौती शिड्यूल में कार्मिक के I.D.संख्या का आवश्यक रूप से उल्लेख करें, क्योंकि यही I.D.कार्मिक का खाता संख्या है।

अतः समस्त आहरण वितरण अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्मिकों के वेतन से अंशदान कटौती सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही करें। इस सम्बन्ध में यदि आवश्यक हो तो निम्न मोबाइल नम्बर पर सम्पर्क कर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 9461244803, 7023634416

(सीताराम जाट)

आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

एवं अध्यक्ष हितकारी निधि

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:— शिविरा / मा० / हिनि / 28203 / 2024–25

दिनांक:—

प्रतिलिपि निम्न को वास्ते आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर को वास्ते सूचनार्थ।
2. निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर को वास्ते सूचनार्थ।
3. स्टाफ ऑफिसर माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा को सूचनार्थ।
4. लेखाधिकारी रोकड़ अनुभाग माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा विभाग कार्यलय हाजा को वास्ते आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
5. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने बाबत।
6. अनुभाग अधिकारी (शालादर्पण) को पोर्टल पर अपलोड करने बाबत।

उप निदेशक (प्रशासन)
एवं सचिव हितकारी निधि,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर